उत्तराखण्ड की जौनसारी जनजाति में महिलाओं की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति

डॉ0 राखी उपाध्याय[1] एवं डॉ0 जे0 वी0 एस0 रौथान[2]
1. हिन्दी विभाग, डी0ए0वी0 (पी0जी0) कॉलेज, देहरादून
2. प्राणि विज्ञान विभाग, डी0ए0वी0 (पी0जी0) कॉलेज, देहरादून
E-mail : drrakhi_418@rediffmail.com

शोध–पत्र

उत्तराखण्ड में गढ़वाली तथा कुमाऊँनी समाज के मध्य न जाने कितनी ही संस्कृतियाँ विकसित हो रही हैं। ये लोग बोली, भाषा, विवाह व्यवस्था, रहन–सहन, व्यवसाय, वेश–भूषा तथा शारीरिक गठन में भी एक दूसरे से विभिन्नताएँ लिए हुए हैं। बाह्य रूप से अगर देखें तो इन जनजातियों में अन्तर कर पाना कठिन है लेकिन जैसे–जैसे हम समाज में बीच जाते हैं। वैस–वैसे अलग–अलग समुदायों के बीच का अन्तर स्पष्ट हो जाता है।

उत्तराखण्ड में कई जनजातियाँ निवास करती हैं। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजातियाँ ही यहाँ की मूल निवासी हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् विकास की मुख्यधारा को जुड़ न पाने के कारण ये लोग काफी पिछड़े रह गए। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की आरे से हाशिए पर पड़ी इन जनजातियों को मुख्यधारा में लाने के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। मूल स्थानों से स्थानान्तरित कर उन्हें शहरों और कस्बों में बसाया जा रहा है। इन जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई हैं तथा पारम्परित व्यवसाय से जुड़ी जनजातियों को सरकारी बाजार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।

गढ़वाल की प्रमुख जनजातियों में सम्मिलित जौनसारी जनजाति जौनसार बाबर क्षेत्र में रहती हैं। जनपद देहरादून, कालसी, चकराता तहसील का जौनसार बाबर क्षेत्र अत्यधिक विकट, दुरुह पर्वतीय क्षेत्र है। जौनसार, बाबर लघु हिमालय का उत्तर–पश्चिमी क्षेत्र है। यह 77.42′ ओर 78.5′ पूर्वी देशान्तर और 30.31′ व 30.2′ उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसके पश्चिम में देहरादून है। समुद्र तल से हरीपुर, कालसी की ऊँचाई 10 हजार से 11 हजार फीट भी है, तो चकराता, नागथात की 7000 हजार व 67000 फीट है और इसी कारण यहाँ के दैनिक जीवन की व्यवस्थाएँ महिला, पुरुषों के लिए सर्वदा चुनौतीपूर्ण ही रहती है। ये जनजाति कालसी चकराता, त्यूनी, लाखामंडल, जौनसार बाबर, जौनसार आदि की ऊँची पहाडियों पर निवास करती है।

हिमाचल से लेकर पूर उत्तराखण्ड में जौनसार बाबर सहित आजादी से पहले 'खश' कानून व्यवस्था रेवेन्यू के तहत चलती थी। 'खश' समाज व संस्कृति का अस्तित्त्व रामायण काल से भी पूर्व

का है। जिसका उल्लेख 'खश' जनजाति के रूप में कोल, किरात, किन्नर, आमीर आदि के साथ किया गया है और यही 'खश' जनजाति वर्तमान में जौनसारी के रूप में जानी जाती है। सन् 1967 में भारत सरकार द्वारा इसकी विशिष्ट सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था व रचना, गरीबी, पिछड़ेपन व विकसित समाज की मुख्य धारा से पृथक रहने के कारण ही इसे जौनसारी जनजाति घोषित किया गया तथा समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण के विशेष प्रावधान किए गए। बाद में समस्त चकराता तहसील, जौनसारी जनजाति आरक्षित क्षेत्र घोषित कर जनपद में विधायक की एक सीट आरक्षित की गई।

जौनसारी समाज में भी महिलाओं की स्थिति दूसरे दर्जे की ही है लेकिन विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था एक रचना के कारण कई एक मायनों में श्रेष्ठतम ही है। इस जनजाति की जनसंख्या प्रदेश में 1 लाख 27 हजार के लगभग ही है। इस प्रकार महिलाओं की कम संख्या सम्भवतः क्षेत्र की गरीबी, बहुपति, बहुपत्नी प्रथा परिवार नियोजन व रख–रखाव पर कम ध्यान दिया जाना है। बालक तथा बालिका मृत्यु दर में भी कोई विशेष अन्तर नहीं है। वयस्क स्तर पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा खानपान पर कम ध्यान दिया जाता है जिसका प्रभाव उनके निम्न स्तरीय स्वास्थ्य पर देखा जा सकता है।

किसी भी राष्ट्र के समाज की उन्नति का मापदण्ड उस समाज की महिलाओं की स्थिति से आँका जाता है। जौनसारी समाज की संयुक्त परिवार प्रणाली को कायम रखने वाली स्तम्भ महिलाएँ ही हैं। जौनसारी महिलाएँ अत्यन्त सहनशील, संवेदनशील, परिश्रमी, हठयोगी, कर्मठ, कार्यकुशल, ईमानदार, तथा धर्म भीरू भी हैं।

कृषि पशुपालन एवं पारिवारिक व्यवस्था में महिलाओं का योगदान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। उनके हिस्से में घर–गृहस्थी, पशुपालन का कार्य ही नहीं, अपितु जल, जंगल, जमीन से संबंधित, खेती, लकड़ी, पानी तथा चारा तक की व्यवस्था पुरुषों से अधिक की ही भागीदारी रहती है।

सम्पूर्ण परिवार की रीढ़ के रूप में कार्य करने वाली मातृशक्ति जौनसारी महिला का कृषि, पशुपालन की आय में कोई भागीदारी नहीं है या 10 प्रतिशत से भी कम ही है। किन्तु जौनसारी समाज में तो इसका अपवाद ही है। यहाँ महिला के नाम पर सम्पत्ति या आमदनी शून्य ही है। फलस्वरूप परिवार में महिला को छोटी सी भी धनराशि नहीं दी जाती जिसे वह अपनी इच्छा से खर्च कर सके। इस प्रकार जौनसारी समाज में महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार वांछनीय है। एक विशेष प्रकार की व्यवस्था महिलाओं के लिए है वह है विवाह के समय मायके पक्ष से दिए गए व्यक्तिगत नकद धान जिसे 'कोथड़ी धन' कहा जाता है। महिला के स्वयं के अधिकार का धन माना जाता है। विवाह के समय नकद धन लड़की को या साथ में पशु, गाय, भैंस, बकरी या मुर्गा आदि

दान में दिए जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार महिला इसी से अपनी आय (ज्वाड़ धन) बढ़ा सकती है। इस कार्य में महिला का पूरा परिवार सहयोग देता है तथा उस धन पर महिला का पूर्ण अधिकार होता है।

जौनसारी महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना आवश्यक है जिससे विकास की विभिन्न योजनाओं का लाभ महिलाओं में अशिक्षा, जागरूकता की कमी व समयाभाव, धन की कमी आदि समस्याओं का निराकरण करने में मिल सके। विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं के लाभ के लिए चलाई जाने वाली योजनाएँ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उपयोगी हैं।

स्वैच्छिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों व स्वयं भी जागरूक, संगठित व सक्रिय होकर जौनसारी, महिलाओं को आगे करने की आवश्यकता है। जिससे वे अपने प्रत्येक स्थिति चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक को जागृति चेतना के माध्यम से सक्षम होकर सदृढ़ता ला सके। सरकार को भी जौनसारी महिला की चारापत्ती, लकड़ी, जल, सिचाँई इत्यादि की विशेष व्यवस्थाओं को करने की आवश्यकता है। निम्न दर पर गैस की हर क्षेत्र में उपलब्धता, पर्यावरण संरक्षण सहित ही चारा पत्ती व पेड़ों के रख–रखाव आदि कार्यक्रम किए जाने आवश्यक हैं। साथ ही स्वास्थ्य सुधार एवं चिकित्सा सुविधाओं का भी सरकार को विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक हैं यदि इन सब सुविधाओं की व्यवस्था हो जाए तो जौनसारी महिलाओं के पास उनके शिक्षा एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाले कार्यक्रमों के लिए समुचित समय उपलब्ध हो सकता है और महिलाओं की स्थिति परिवार व समाज में सुदृढ़ ही सकती है।

सामाजिक स्तर पर भी जौनसार महिलाओं की स्थिति औसत ही है। पारिवारिक या सामाजिक निर्णय लेने में उनकी भागीदारी कमजोर ही है। सामाजिक निर्णयों में जैसे कि गाँव, खत या क्षेत्र की किसी भी बैठक में महिला को भाग लेने का अधिकार नहीं है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था में 33 प्रतिशत महिलाओं के आरक्षण में स्थिति धीरे–धीरे जौनसारी महिलाओं में भी व्यवस्था के प्रति जागरूकता व परिवर्तन समाज के साथ–साथ आ रहा है। जौनसारी महिला का मायके के स्थान पर अपने ससुराल के पक्ष व गाँव के प्रति की अधिक जवाह देह रहता है। बहु के रूप में उन्हें अपने निकट के संबंधी तक के यहाँ, बड़े से बड़े उत्सव या समारोह होने पर भी जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक की मन्दिरों तक में सामान्य जौनसारी महिलाओं का प्रवेश निषेध है। केवल बाजगी महिलाओं (नाचने गाने या ढ़ोल बाजा बजाने वाले) को ही प्रवेश का अधिकार है।

वर्तमान में इस स्थिति के प्रति क्षेत्र की जनता सहित महिलाएँ भी जागरूक होकर प्रयत्नशील हुई है। फलस्वरूव प्रत्येक एक सौ वर्षों बाद देवता की सहमति से होने वाले 'जनोल मन्दिर' (जो

जनजाति समुदाय का सबसे बड़ा 'महासू' देवता का का देवस्थल व मन्दिर है यह स्थानीय देवता हैं जिसे शिव के समान माना जाता है)। 22 मई से 27 मई 2004 के दिन श्री महासु देवता मन्दिर के प्रबन्धक समिति के देख–रेख में धार्मिक सम्मेलन एवं अनुष्ठान हुआ। इसमें आसपास के 70 देवी–देवताओं को हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखण्ड आदि से आमंत्रित किया गया तथा महासू देवता की अनुमति से इस मन्दिर में दी जाने वाली बलि प्रथा समाप्ति के साथ ही साथ मन्दिर में देवता के दर्शनार्थ महिलाओं को भी अनुमति दी गई है। यह निर्णय समुदाय की महिलाओं के पक्ष में सम्मानीय सिद्ध हुआ है।

जौनसार जनजाति व जनजातीय समुदाय में महिलाओं की स्थिति के अनेक उज्ज्वल पक्ष भी हैं। समाज में उनके दो रूपों का मान्यता प्राप्त है। एक परिवार की लड़की के रूप में वे अधिक स्वतंत्र है। उनकी इच्छा व निर्णय को, मान्यताओं को स्वीकार कर महत्ता दी जाती है। मायके में उसे जौनसारी भाषा में 'ध्याटूडी' कहा जाता है और ध्यान का अर्थ होता है ननद पति की बहन। परिवार की बहू के रूप में जौनसारी महिला को रैणी या रेन्टूडी (रैणटूडी) कहा जाता है। दोनों रूपों के अधिकार कर्त्तव्य एवं पृथक मान्यताएँ हैं। समाज में एक बहू के रूप में उसकी प्रतिष्ठा मान सम्मान व मान्यताएँ श्रेष्ठतम् है। उनके मान सम्मान की रक्षा परिवार सहित पूरे समाज का भी दायित्व बन जाता है। यदि कोई बहू के प्रति अभद्र व्यवहार या उसका तिरस्कार करता है तो समाज उस पुरुष को तिरस्कृत करता है। सामूहिक रूप से अर्थ दण्ड व सजा तक देने का प्रावधान है। समाज में यह भी व्यवस्था है कि यदि किसी पुरुष से कोई भीषण अपराध या हत्या तक हो जाय और उसकी पत्नी या महिला समाज के सामने क्षमा माँग ले तो अपराधी पुरुष को माफ कर दिया जाता है। पति–पत्नी को आपस में 'जोरू ख्वांद' कहा जाता है।

वर्तमान समय में भारत ही क्या पूरे विश्व में महिलाओं की अस्मिता के प्रति हिंसा, असुरक्षा, दहेज हत्या, भ्रूण हत्या, बलात्कार, वैश्यावृत्ति जैसे विभत्स विषयों एवं स्थितियों, से पूरा जन समुदाय त्रस्त हैं किन्तु वहीं जौनसारी समुदाय व समाज में आज भी नारी अत्यधिक सुरक्षित है। कहीं भी बलात्कार, दहेज हत्या या हिंसा का प्रकरण समाज में नहीं आया है। जौनसारी समाज दहेज प्रथा से आज तक अछूता है। जौनसारी समाज में संयुक्त परिवार व्यवस्था के कारण कोई भी निराश्रित नहीं है। विधवा विवाह एवं तलाकशुदा महिला के पुनर्विवाह को पूरा समाज मान्यता देता है। विधवा के समक्ष जीवन यापन की कोई समस्या नहीं है। बालक, बालिका विकलाँग, वृद्ध कोई भी निराश्रित नहीं है। पर्दाप्रथा तथा भिक्षावृत्ति जैसी कोई समस्या समाज में व्याप्त नहीं है। समाज में न तो नारी निकेतन, वृद्धाश्रमों व विकलांगों के लिए निराश्रित गृहों की ही समस्या है। इस समाज में कोई भूखा नहीं सोता। नारी की अस्मिता पूर्ण तथा सुरक्षित है।

प्राचीन काल में अशिक्षा होने के कारण छोटी–छोटी जीत होने व अपने को पांडवों का वंशज मानने के कारण, बहुपति व बहुपत्नी प्रथा तथा बाल–विवाह अधिक प्रचलित था परन्तु वर्तमान समय में इस समाज में शिक्षा का विकास, प्रचार–प्रसार तथा जागरूकता के कारण नारी का विकास हो रहा है और वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रही है।

लड़की के युवा होने पर विवाह हेतु उसकी राय तथा पसन्द व निर्णय को मान्यता दी जाती है। विवाह असफल होने की स्थिति में समाज में 'छूट प्रथा' (तलाक) की व्यवस्था को पूरी मान्यता दी जाती है।

आज के युग में विवाह हेतु कन्या पक्ष को कहीं वर ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वयं पर पक्ष के लोग लड़की वालों के यहाँ लड़की माँगने जाते हैं। लड़की की स्वीकृति पर चाँदी का सिक्का देकर लड़की को रोक दिया जाता है। कन्या पक्ष ही बारात लेकर पक्ष के यहाँ जाता है। यह समाज में कन्या व कन्यापक्ष के लिए आदर सहित मान्याता है।

जौनसारी समुदाय में विशेषकर मुख्य रूप से तीन प्रकार की विवाह पद्धतियाँ हैं– (1) वैदिक पद्धति (2) अवैदिक पद्धति (3) परम्परागत जौनसारी विवाह पद्धति

जौनसारी जनजाति की सुरक्षा, सांस्कृतिक सुरक्षा हेतु इनका लोकगीतों, कथाओं, नृत्यों आदि का संरक्षण अति आवश्यक है। सांस्कृतिक संरक्षण हेतु सरकार के साथ–साथ कई संस्थाएं इस दिशा में प्रयासरत हैं। पारिवारिक सम्पत्ति में महिला की हकदारी सुनिश्चित करने का कानून व व्यवस्था भी आवश्यक है और परिवार की जमीन जायदाद बिकने के वक्त महिला की सहमति एवं उसके हस्ताक्षर सहित लिया जाना भी आवश्यक किया जाना चाहिए। जौनसारी महिलाओं को स्वयं प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ प्रक्रिया भागीदारी निभाने की आवश्यकता है जिससे वह समाज की मुख्यधारा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें।

आभार अभिव्यक्ति –

मैं (राखी उपाध्याय) विश्वविद्यालय अनुदान आयेाग की हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने अनुसंधान कार्य हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान किया।